वित्तीय स्वीकृति

संख्या-16/2015/70/52-3-15-बजट(12)/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-3 □□□□□ दिनांक 27जनवरी, 2015

विषयः-अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में □□□□-□□□□□□□ □□ □□0□0□□0टी0 □□ □□ □□□□ □□□□ छात्र/छात्राओं □□ छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दिये □□□□□□□□□ में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□□ पत्र □□-1072/□0□0□0□□0/□□□□0□□0/2013-14, दिनांक 30-6-2014 □□□ 3155/□0□0□0□□0/□□□□0□□0/2013-14, दिनांक 28-11-2014 □□ संदर्भ में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि □□□□-□□□□□□□ □□ □□0□0□□0टी0 □□ 40 छात्र/छात्राओं □□ □□□□ □□ □□□□ की परिस्थितिया □□□□ पत्र □□-2929/□0□0□0□□0/□□□□0□□0/2013-14 दिनांक 21-10-2013 □□ अनुरूप □□□□ की स्थिति में □□□□□□□ □□-2147/52-3-14/72/95टी0□□0 दिनांक 26-12-2013 □□ अनुरूप कार्यवाही □□□□□□□□□ 40 छात्र/छात्राओं □□ □□□□ वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□ व्ययक में प्राविधानित/शा□□□ द्वारा स्वीकृत □□□□□□ □□ निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों □□□□□□ आहरित □□ □□□□□ किये □□□□ की □□□□□ प्रदान की □□□□ □□-

(1) उक्त □□□□□□ □□ □□□□□ योजनान्तर्गत □□□□ वित्तीय वर्ष 2014-15 में □□□□□□□ □□-747/52-3-14-□□□(12)/2014 दिनांक 20-5-2014, □□□□□□□ □□-1842/52-3-14-□□□(12)/2014 दिनांक 1-9-2014 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति □□□□□□ □□□□□ □□□□□ रू0 42,52,36,000/- □□□ □□□□□□□ □□-750/52-3-14-□□□(12)/2014 दिनांक 20-5-2014 □□□ □□□□□□□ □□-1812/52-3-14-□□□(15)/2014 दिनांक 28-8-2014 द्वारा शुल्कप्रतिपूर्ति □□□ स्वीकृत □□□□□□ □□□ रू0 85,00,00,000/- □□ किया □□□□□

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□□ □□ सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं □□ छात्रवृत्ति □□ □□□□□ स्वरूप □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ माध्यम □□□□□□□□□ बैंक □□□ में अन्तरित की □□□□□

http://sriramdesh.up.nic.in

(3) □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ गतवर्ष की उत्त □□□ □□ □□□□ □□उपरान्त □□□□ □□□ की □□□ □□ ही □□□□वित्तीय वर्ष 2014-15 में पात्र आवेदकों □□ छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति व□ □□□□ किया □□□□

(4) उत्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष व्यय □□□□□ □□विवरण □□ □□□□□□□ प्रमाण पत्र □□ फरवरी, 2015 की समाप्ति □□ □□□□ □□ उपलब्ध □□□□जायेंगे।

(5) जिन विद्यालयों/मदरसों □□विरूद्ध छात्रवृत्ति □□ □□□□ में □□□□□□□□□ की □□□□□ □□ □□□□छात्रवृत्ति की □□□□□ की □□□□□□□□□ की प्रबल □□□□□ □□ दृष्टिगत □□□□ □□□□ विद्यालयों/मदरसों □□ छात्र/छात्राओं □□ छात्रवृत्ति □□ □□□□ छात्र/छात्राओं □□ सत्यापन □□□□ ही किया □□□□ यदि फिर □□ □□□□□ □□ वितरण में किसी प्रकार की □□□□□□□□ प्रकाश में □ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ अधिकारी पूर्ण रूप □□ उत्तरदायी होंगें।

(6) छात्रवृत्ति वितरण □□ □□□ में □□□□ द्वारा □□□-□□□ □□ निर्गत शासनादेशों □□□ □□□□□□□□ □□प्राविधानों व□ □□□□ □□□□□□□□ सुनिश्चित किया □□□□

2- □□□□ प्रकरण में □□□□□□ कार्यवाही सुनिश्चित □□□□□□□-□□□ संस्था □□ □□□□ □□ □□□□की परिस्थितिया □□ □□□□□□□□ अधिकारियों/कर्मचारियों □□ उत्तरदायित्व निर्धारित व□ कार्यवाही □□□□□□ कार्यवाही □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश ि□□)
□□□□

संख्या-70(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित □□ सूचनार्थ □□□आवश्यक कार्यवाही हे□□प्रेषित:-

1 □□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□

2 □□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□

3 मुख्य कोषाधिकारी, वे□□□□□□, □□□□□

4 कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त □□□लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□ □0प्र0 □□□□□

5 रजिस्ट्रार उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704, □□□□□ □□□ □□□□□

6 □□□□□, □□0□0□□0टी0 □□□□□□□□

7 अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-1

आज्ञ □□

(□□0□□0द्विवेदी)
□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in